



प्ररूप संख्या 5  
FORM NO.5

**राजस्थान सरकार**  
**Government of Rajasthan**  
**आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय**  
**Directorate of Economics & Statistics**  
**जन्म प्रमाण पत्र**

**BIRTH CERTIFICATE**

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और

राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया)

Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय) जनरल होस्पिटल करौली तहसील/खण्ड XXXX जिला करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान, भारत का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) ..... of Tehsil/Block ..... of District ..... of State/Union Territory ....., INDIA

नाम/Name : **ललित सिंह माली**

लिंग/Sex : **पुरुष / MALE**

जन्म तिथि /Date of Birth : **22/06/2014**

जन्म स्थान /Place of Birth : **GENERAL HOSPITAL  
KARAU LI**

माता का नाम/Name of Mother : **रामा**

पिता का नाम/Name of Father : **भगवान सिंह माली**

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता

माता पिता का स्थायी पता

Address of parents at the time of birth of the child

Permanent address of the Parents

**नदी बरखेडा करौली**

**नदी बरखेडा करौली**

रजिस्ट्रीकरण संख्या/Registration No :

**08107001000000402942/2014**

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/Date of Registration :

**23/06/2014**

टिप्पणी/Remarks (if any) :

जारी करने की तारीख /Date of Issue : **18/07/2014**

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of issuing authority

जारी करने वाले अधिकारी का पता/Address of issuing authority

**डा० चिं करौली**

मुहर/seal

नोट: "बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता" एवम् "माता पिता का स्थायी पता" के कालमों से सम्बंधित सूचनाएं 01/01/2007 से पूर्व लागू नहीं थी।

Note: Information in respect of the columns "Present address of parents at the time of birth of the child" and "Permanent address of parents" were not applicable before 01/01/2007